

संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश

क्रमांक/अ-2-6/स्था0/05-2010/ 2788

भोपाल,दिनांक :- 15.6.10

//आदेश//

निम्नलिखित चतुर्थ वर्ग कर्मचारी को स्थानांतरित कर उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में दर्शित स्थान पर अन्य आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से पदस्थ किया जाता है:-

क्र0	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना स्थल	स्थानांतरण स्थल	स्थानांतरण का आधार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री तल्लूलाल डीमर भृत्य	कार्यालय सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, हटा जिला दमोह	कार्यालय सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी, भोपाल	स्वयं कर्मचारी व्यव पर
2	श्री तल्लूराम राठौर भृत्य	प्राचार्य, कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केंद्र, आंतरी जिला ग्वालियर	सहायक रसायनज्ञ विशेषज्ञ, उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, ग्वालियर	स्वयं कर्मचारी व्यव पर
3	श्री जयसामसिंह कुशाहा भृत्य	कार्यालय अनुविभागीय कृषि अधिकारी, गुना	प्राचार्य, कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केंद्र, मुरैना	स्वयं कर्मचारी व्यव पर
4	श्री नूर प्रहमट भृत्य	कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, वि०खण्ड नौगांव जिला छतरपुर	कार्यालय सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, खुरई जिला सागर	स्वयं कर्मचारी व्यव पर

स्थानांतरित कर्मचारी के पदस्थापना आदेश संबंधित अधिकारियों द्वारा तत्काल प्रसारित किये जावे तथा कर्मचारी को पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर तत्काल भारमुक्त किया जावे । उक्त कार्यवाही 7 दिवस के अंदर की जावे ।

उक्त के अंग पर किये गये स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी

संचालक,

किसान कल्याण तथा कृषि विकास

म०प्र०,भोपाल

भोपाल,दिनांक :- 15.6.10

क्रमांक/अ-2-6/स्था0/05-2010/ 2789

- सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-
- विशेष सहायक,माननीय कृषि मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, विभाग मंत्रालय, भोपाल ।
 - निज सहायक, माननीय कृषि राज्य मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, विभाग मंत्रालय, भोपाल ।
 - प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,मंत्रालय, भोपाल ।
 - सहायक संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जगलपुर संभाग जवदपुर मध्यप्रदेश ।
 - उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास सिवनी, मध्यप्रदेश ।
 - प्राचार्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केंद्र, जिला.....
 - अनुविभागीय कृषि अधिकारी, जिला.....
 - सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी/सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी,.....
 - वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, वि०खण्ड नौगांव जिला छतरपुर ।
 - निज सहायक संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
 - संबंधित श्री पदनाम.....-द्वारा अनु०-
 - आदेश नरसिंह ।

संयुक्त संचालक कृषि (स्थापना)
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,
म०प्र०,भोपाल

**संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश**

क्रमांक / अ-2-6 / स्था0 / 05-2010 / 2790

भोपाल, दिनांक :- 15.6.10

आदेश

निम्नलिखित चतुर्थ वर्ग कर्मचारी को स्थानांतरित कर उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में दर्शित स्थान पर अन्य आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से पदस्थ किया जाता है ।

क्र०	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना स्थल	स्थानांतरण स्थल	स्थानांतरण का आधार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री रामसिंह राठौर, चैनमेन	कार्यालय उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, सिवनी	कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, वि०ख० बुदनी जिला सीहोर	स्वयं क व्यय पर

स्थानांतरित कर्मचारी का पदस्थापना आदेश संगठित अधिकारियों द्वारा तत्काल प्रसारित किये जावे तथा कर्मचारी को पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर तत्काल भारमुक्त किया जावे । उक्त कार्यवाही 7 दिवस के अंदर की जावे ।

स्वयं के व्यय पर किये गये स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी ।

संचालक,

किसान कल्याण तथा कृषि विकास

म०प्र०, भोपाल

पृ क्रमांक / अ-2-6 / स्था0 / 05-2010 / 2791

भोपाल, दिनांक :- 15.6.10

प्रतिलिपि:-

- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :- विशेष सहायक, माननीय कृषि मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, विभाग मंत्रालय, भोपाल ।
- निज सहायक, माननीय कृषि राज्य मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, विभाग मंत्रालय, भोपाल ।
- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल ।
- संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जबलपुर संभाग, जबलपुर, मध्यप्रदेश ।
- उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, सिवनी, मध्यप्रदेश ।
- अनुविभागीय कृषि अधिकारी, बुदनी जिला सीहोर ।
- वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, वि०ख० बुदनी जिला सीहोर ।
- निजी सहायक संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- संबंधित श्री रामसिंह राठौर, चैनमेन-द्वारा अनु०-05
- आदेश नस्ती ।

संयुक्त संचालक (कृषि (स्थापना))
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,
म०प्र०, भोपाल

संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश


नांक/अ-2-6/स्था0/05-2010/ 2808

भोपाल, दिनांक :- 15.6.10

//आदेश//

निम्नलिखित चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को स्थानांतरित कर उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में दर्शित स्थान पर अन्य आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से पदस्थ किया जाता है :-

क्र०	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना स्थल	स्थानांतरण स्थल	स्थानांतरण का आधार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री चन्द्रभान यादव, भृत्य	कार्या० उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला देवास	कार्या० सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी नरसिंहपुर	स्वयं के व्यय पर
2	श्री रामरिया वर्मा भृत्य	कार्या० उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला रीवा	कार्या० अनुविभागीय कृषि अधिकारी त्योंथर जिला रीवा	आपसी स्वयं के व्यय पर
3	श्री रामफल कोल, भृत्य	कार्या० अनुविभागीय कृषि अधिकारी त्योंथर जिला रीवा	कार्या० उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला रीवा	आपसी स्वयं के व्यय पर
4	श्री महेश प्रसाद रेकवार भृत्य	कार्या० कृषि यंत्री सतना	कार्या० सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, छतरपुर	स्वयं के व्यय पर
5	श्री सुरेश सिंह तोमर, चैनमेन	कार्या० सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, मुरैना	कार्या० अनुविभागीय कृषि अधिकारी सबलगढ़ जिला मुरैना	स्थानीय व्यवस्था
6	श्रीमती उषा देवी चैनमेन	कार्या० सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, जिला मुरैना	कार्या० अनुविभागीय कृषि अधिकारी सबलगढ़ जिला मुरैना	स्थानीय व्यवस्था
7	श्री अमर सिंह चैनमेन	कार्या० सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, जिला मुरैना	कार्या० सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, जिला मिण्ड	प्रशासनिक
8	श्री छवि राम कुशवाह भृत्य	कार्या० सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, जिला मुरैना	कार्या० सहायक संचालक कृषि (गन्ना) कैलास जिला मुरैना	प्रशासनिक
9	श्री लक्ष्मण सिंह कुशवाह, भृत्य	कार्या० सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, जिला मुरैना	कार्या० वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी वि०ख० पहाडगंज जिला मुरैना	प्रशासनिक
10	श्रीमती रामश्री बाई, भृत्य	कार्या० सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, जिला मुरैना	कार्या० प्राचार्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र मुरैना	स्थानीय व्यवस्था
11	श्री रामस्वरूप कुशवाह, भृत्य	कार्या० उप संचालक, कि०क० तथा क०वि० मुरैना	कार्या० शासकीय कृषि प्रक्षेत्र जौरा जिला मुरैना	स्थानीय व्यवस्था
12	श्री बनवारी लाल भृत्य	कार्या० उप संचालक, कि०क० तथा क०वि० मुरैना	कार्या० प्राचार्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र मुरैना	स्थानीय व्यवस्था
13	श्री शेर सिंह तोमर, चैनमेन	कार्या० उप संचालक, कि०क० तथा क०वि० मुरैना	कार्या० प्राचार्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र श्योपुर	प्रशासनिक
14	श्रीमती भागवती अहिरवार, भृत्य	कार्या० शासकीय कृषि प्रक्षेत्र नौगांव जिला छतरपुर	कार्या० सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी नौगांव जिला छतरपुर	स्वयं के व्यय पर




कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना स्थल	स्थानांतरण स्थल	स्थानांतरण का आधार
(2)	(3)	(4)	(5)
15. श्री मुन्नालाल शर्मा, भृत्य	कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी नरसिंहपुर	कार्यालय सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी सीहोरा जिला जबलपुर	प्रशासनिक
16. श्री उमाशंकर शर्मा, चैनमेन	कार्यालय सहायक मृदा सर्वेक्षण अधिकारी सीधी	कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी वि०ख० मझौली जिला सीधी	प्रशासनिक
17. श्री राजकुमार यादव चैनमेन	कार्यालय सहायक मृदा सर्वेक्षण अधिकारी सीधी	कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी वि०ख० कुसमी जिला सीधी	प्रशासनिक
18. श्री जयसिंह जामदार भृत्य (रेगुलरी)	कार्यालय उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला अशोकनगर	कार्यालय संयुक्त संचालक, कि०क० तथा कृ०वि० ग्वालियर संभाग ग्वालियर	प्रशासनिक
19. श्री बलराम कुशवाह, भृत्य (रेगुलरी)	कार्यालय शासकीय कृषि पक्षेत्र महुआखेड़ा जिला ग्वालियर	कार्यालय संयुक्त संचालक, कि०क० तथा कृ०वि० ग्वालियर संभाग ग्वालियर	प्रशासनिक
20. श्री अपरबल सिंह भदौरिया, भृत्य	कार्यालय सहायक मृदा सर्वेक्षण अधिकारी ग्वालियर	सहायक रसायन विशेषज्ञ उर्दरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला ग्वालियर	स्थानीय व्यवस्था
21. श्री राजकुमार मर्सकोले, भृत्य	कार्यालय सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी (नघायो) जावरा जिला रतलाम	कार्यालय उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला डिण्डोरी	स्वयं के व्यय पर

स्थानांतरण कर्मचारियों को पदस्थापना आदेश संबंधित अधिकारियों द्वारा तत्काल प्रसारित किये जावे । तथा कर्मचारियों को पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर तत्काल भारमुक्त किया जावे । उक्त कार्यवाही 7 दिवस के अंदर की जावे ।

स्थानांतरित कर्मचारी यदि 15 दिन से अधिक अवधि के लिये लघुकृत अवकाश लेता है तो उराके मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा । मेडिकल बोर्ड द्वारा अनुशंसा नहीं की जाती है और संबंधित अधिकारी अन्य अवकाश के लिये आवेदन करता है या अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है तो उक्त अवधि को ऐच्छिक अनुपस्थित मानकर डायजनाम माना जावेगा , साथ ही आदेशों का पालन न करने के लिये अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

स्वयं के व्यय पर किये गये स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी ।



संभालक,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
म०प्र०, भोपाल

क्रमांक/अ-2-6/स्था0/05-2010/ 2009

भोपाल,दिनांक :- 15.6.10

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशेष सहायक,माननीय कृषि मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, विभाग मंत्रालय, भोपाल ।
2. निज सहायक,माननीय कृषि राज्य मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, विभाग मंत्रालय, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,मंत्रालय, भोपाल ।
4. संचालक, राज्यस्तरीय कृषि विरतार एवं प्रशिक्षण संस्थान, बरखेड़ीकल्लो, भोपाल ।
5. संचालक, कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय, गौतमनगर, भोपाल ।
6. संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, -----मध्यप्रदेश ।
7. उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास -----मध्यप्रदेश ।
8. अनुविभागीय कृषि अधिकारी.....जिला.....
9. सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी.....जिला.....
10. कृषि यंत्री/सहायक कृषि यंत्री.....जिला.....
11. सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी.....जिला.....
12. सहायक मृदा सर्वेक्षण अधिकारी.....जिला.....
13. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखण्ड..... जिला.....
14. शासकीय कृषि प्रक्षेत्र,.....जिला.....
15. निज सहायक संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
16. संबंधित श्री -----पदनाम-----द्वारा
17. आदेश नस्ती ।


संयुक्त संचालक कृषि (स्था0)
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,
म0प्र0,भोपाल